उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–6
संख्या– 105 /बीस–6/2020–01(08)2007 टी.सी.
देहरादूनः दिनांक– 11 फरवरी, 2020

विज्ञप्ति
नियुक्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 2016 के कुल 26 पदों के सापेक्ष 25 प्रतिशत से अनधिक पदों के क्रम में श्रेणीवार/उप–श्रेणीवार 06 अभ्यर्थियों की चयन सूची (प्रतीक्षा सूची) तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त चयन सूची (प्रतीक्षा सूची) से मा0 आयोग द्वारा श्रीमती रीता रावत (अनुक्रमांक 202597) का अभ्यर्थन, शासन द्वारा निरस्त किये जाने से घटित रिक्ति के सापेक्ष अनारक्षित/उत्तराखण्ड महिला पद के सापेक्ष सुश्री अनुरीता सिंह (अनुक्रमांक 200144) को चयनित कर संस्तुत किया गया है। मा0 आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में **सुश्री अनुरीता सिंह (अनुक्रमांक–202444) पुत्री श्री विरेन्द्र सिंह** को सहायक अभियोजन अधिकारी, वेतनमान ₹9300–34800, ग्रेड वेतन ₹4600 (सातवें वेतन का पुनरीक्षित वेतन ₹44900–142400 लेवल–7) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त नियुक्त अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अन्दर अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, 75/38, इन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3– उक्त नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा "उत्तराखण्ड अभियोजन अधिकारी सेवा नियमावली, 2015" तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तो से विनियमित होंगी तथा उन्हें निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

4– उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय निदेशक, अभियोजन के समक्ष निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगेः–

(1) चल–अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
(2) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।
(3) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

5– उक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों एवं अन्य प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

6– उक्त नियुक्त अभ्यर्थी को आधारभूत व मूलरूप प्रशिक्षण दिलाये जाने की तिथि पृथक से निर्धारित की जायेगी तथा प्रशिक्षणोंपरान्त ही जनपदों में तैनाती आदेश निर्गत किये जायेंगे।

7– उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 एवं अन्य सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार पृथक से निर्धारित की जायेगी।

(कृष्ण कुमार वी0के0)
अपर सचिव।

संख्या– 105 (1)/बीस–6/2020–01(08)2007 टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–346/30/E-1 /D.R.(E.S.)/2016&17, दिनांक–18.11.2019 के संदर्भ में।
6. निदेशक, अभियोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञानार्थ।
8. वित्त अधिकारी, अभियोजन निदेशालय, देहरादून।
9. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ।
11. सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके द्वारा दिये गये पत्राचार पते के अनुसार।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।